-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा उर्वरक (खाद) का अवैध रुप से भण्डारण करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा उर्वरक(खाद) की काला बाजारी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 20.08.2025 को थाना नरैनी क्षेत्रांतर्गत ग्राम रानीपुर अंश बिल्हरका के रहने वाले राधेश्याम पुत्र नत्थू पटेल के घर अवैध रूप से उर्वरक (खाद) का भण्डारण किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 21.08.2025 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राधेश्याम पुत्र नत्थू पटेल को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

वरामदगी –

- 45 बोरी यूरिया खाद (30 बोरी एचयूआरएल एवं 15 बोरी इफ्को)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राधेश्याम पुत्र नत्थू पटेल निवासी ग्राम रानीपुर अंश बिल्हरका जारी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 290/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि० थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री मो०इबरार सिद्दिकी
2. कां0 अतुल कुमार राठौर